(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी मोहम्मद अबूबक्र (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 27 / 2019

बउनवान

राज0 सरकार जर्ये :– श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां

(प्रार्थी)

बनाम

1. श्री राधेश्याम कालरा पुत्र श्री थानाराम कालरा उम्र 52 वर्ष जाति पंजाबी निवासी प्रताप बस्ति वार्ड नं. 4 छबडा जिला बारॉ (मौके पर मौजुद विक्रेता) मैसर्स जय अम्बे ट्रेडर्स, बारॉ रोड छबडा जिला बारॉ।
2. श्री चर्चित कालरा पुत्र श्री राधेश्याम कालरा जाति पंजाबी निवासी प्रताप बस्ति वार्ड नं. 4 छबडा जिला बारां (लाईसेन्स धारी) मैसर्स जय अम्बे ट्रेडर्स, बारां रोड छबडा जिला बारां।
3. श्री रंजीत तलवार पुत्र श्री पिशोरी लाल तवार निवासी आर–67, रायल नगर, आदित्य आवास, कोटा (प्रोपराईटर) M/s B.D. Agencies, R-67 Royal City, Additya A ways, Bajarang Nagar Kota 324001
4. श्री प्रकाश अग्रवाल पुत्र स्वश्री मदनलाल अग्रवाल निवासी 82 खत्री हाउस, जमना भवन के पास, आउट साइड चांदपोल, जयपुर (प्रोपराईटर) BANSAL SALE CORPORATION ¾ SINGHAL BHAWAN KHATRI HOUSE EAST OUT SIDE CHANDPOLE GATE JAIPUR.
5. श्री रोहित शर्मा पुत्र श्री सुभाष शर्मा निवासी 718, मीरा मार्ग, दूध मिष्ठान भण्डार, झोटवाडा रोड बनी पार्क, जयपुर 302016 (मालिक / भागीदारों व डायरेक्टर्स–1) DMB SWEETS PVT.LTD
6. श्री राहुल शर्मा पुत्र श्री सुभाष शर्मा निवासी 718, मीरा मार्ग, दूध मिष्ठान भण्डार, झोटवाडा रोड बनी पार्क, जयपुर 302016 (मालिक / भागीदारों व डायरेक्टर्स–2) DMB SWEETS PVT.LTD
7. श्री सौरभ शर्मा पुत्र श्री सुनील शर्मा निवासी 718, मीरा मार्ग, दूध मिष्ठान भण्डार, झोटवाडा रोड बनी पार्क, जयपुर 302016 (मालिक / भागीदारों व डायरेक्टर्स–3) DMB SWEETS PVT.LTD
8. श्री सुभाष शर्मा पुत्र श्री लक्ष्मीधर शर्मा निवासी 718, मीरा मार्ग, दूध मिष्ठान भण्डार, झोटवाडा रोड बनी पार्क, जयपुर 302016 (मालिक / भागीदारों व डायरेक्टर्स–4) DMB SWEETS PVT.LTD
9. श्री सुनील शर्मा पुत्र श्री लक्ष्मीधर शर्मा निवासी 718, मीरा मार्ग, दूध मिष्ठान भण्डार, झोटवाडा रोड बनी पार्क, जयपुर 302016 (मालिक / भागीदारों व डायरेक्टर्स–4) DMB SWEETS PVT.LTD
10. DMB SWEETS PVT.LTD Khasra No. 385, Gogoria Krishi Farm, Opp. Ramkutiya Mandir, Gram Machwa, Kalwar Road, Jaipur-303706

(अप्रार्थीगण)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (।।) एफएसएस एक्ट 2006 एवं विनियम 2011

उपस्थिति :– 1– श्री राजेश रामचन्दानी खा.सु.अ. (प्रार्थी स्वंय)
2– श्री अश्विनी कुमार शर्मा अभिभाषक (अप्रार्थीगण)

<u>निर्णय दिनांक 17.01.2020</u>

प्रकरण राजस्थान सरकार जर्ये :– श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 4.11.2018 को मैसर्स जय अम्बे ट्रेडर्स, बाराँ रोड छबडा जिला बाराँ पर पहुंचा। वहाँ पर श्री राधेश्याम कालरा पुत्र श्री थानाराम कालरा (मौक पर मौजूद विक्रेता) की हैसियत से उपस्थित थे, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया गया।

मैं राजेश कुमार रामचन्दानी दिनांक 4.11.2018 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाराँ मे खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा था और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र मे प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक/एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 25.7.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश दिनांक 26.10.2014 के अनुसार मुझे कार्य क्षेत्र जिला बाराँ आवंटित किया गया है और जिला बाराँ के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र मे आते है।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया जहां पर खाद्य पदार्थ **केसर बाटी (डीएमबी) 01 कि.ग्रा. डिब्बा पैक** मे विक्रय हेतु रखी हुयी थी। मैने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता से मौके पर खाद्य पदार्थ **केसर बाटी (डीएमबी) 01 कि.ग्रा. डिब्बा पैक** में मिलावटी व मिथ्याछाप का शक होने पर नमूना लेने हेतु विक्रेता को अवगत कराया गया तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति मे तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाराँ द्वारा खाद्य पदार्थ **केसर बाटी (डीएमबी) 01 कि.ग्रा. डिब्बा पैक** के 04 मूल पैकिट वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदे, जिसकी कीमत श्री राधेश्याम कालरा पुत्र श्री थानाराम कालरा (मौक पर मौजूद विक्रेता) को 500/– रूपये (अक्षरे पॉच सौ रूपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वंय आवेदक ने हस्ताक्षर किये। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **केसर बाटी (डीएमबी) 01 कि.ग्रा. डिब्बा पैक** के 04 मूल पैकिट को चार नमूना भागो मे अलग–अलग मूल पैकिट पर लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूने भाग पर चिपकाये और लेबलो पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक ए.एच.–880 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहन के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग कागज में पोलिपैक पाउच के साथ लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर डी.ओ. बारां की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एच.–880 नियमानुसार चारो नमूना भागों पर नीचे से उपर तक फेविकोल से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री राधेश्याम कालरा पुत्र श्री थानाराम कालरा (मौक पर मौजूद विक्रेता) ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर मे सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं एक प्रति फार्म नं0 6 की अलग से सील्ड लिफाफे मे स्वंय द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्या एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारॉ के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2018/232 दिनांक 12.12.2018 से ज्ञात हुआ कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 732/FSSA /Kota/Act/2018 /762 दिनांक 29.11.2018 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय की गयी, खाद्य पदार्थ **केसर बाटी (डीएमबी) 01 कि.ग्रा. डिब्बा पैक** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के तहत **मिथ्याछाप** (**Misbranded**) होना पाया गया। रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने अनुसंधान हेतु मैसर्स जय अम्बे ट्रेडर्स, बारॉ रोड छबडा जिला बारॉ से पत्रांक 263 दिनांक 19.12.2018 से सूचना चाही गई। मैसर्स जय अम्बे ट्रेडर्स, बारॉ रोड छबडा जिला बारॉ द्वारा प्रतिउत्तर में खाद्य अनुज्ञापत्र, आधारकार्ड एवं क्रय बिल की छायाप्रति कार्यालय में पेश की गई।

इस पर प्रकरण दिनांक 23.09.2019 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को जर्ये रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा जर्ये अभिभाषक उपस्थित होकर प्रकरण मे जवाब नही कर, अन्तिम बहस सुनी जाने हेतु निवेदन करने पर, प्रकरण मे अप्रार्थीगण का जवाब बन्द किया जाकर, प्रकरण मे उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

दौराने बहस प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा जिस खाद्य पदार्थ **केसर बाटी (डीएमबी) 01 कि.ग्रा. डिब्बा पैक** को वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया था, वह जॉच में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के तहत **मिथ्याछाप** (**Misbranded**) होना पाया गया। अप्रार्थी का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(।।) के तहत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

इसके विपरीत अप्रार्थीगण के अभिभाषक द्वारा कहा गया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा केसर बाटी (डीएमबी) 01 कि.ग्रा. डिब्बा पैक वास्ते नमूना जॉच हेतु अप्रार्थी क्रम 1 से क्रय की गई थी। जिसमे किसी भी प्रकार की कोई कमी आदि नही पाई गयी। उक्त केसर बाटी (डीएमबी) 01 कि.ग्रा. डिब्बा पैक जॉच रिपोर्ट मे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के तहत **मिथ्याछाप** (**Misbranded**) होना पाया गया। जिसे दुरूस्त कर लिया गया है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रस्तुत की गई कार्यवाही ड्रोप फरमायी जावे।

इसके विपरीत प्रार्थी राजस्थान सरकार जर्ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बारॉ द्वारा कहा गया कि अप्रार्थीगण यदि खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट कमांक 732/FSSA /Kota/ Act/2018/762 दिनांक 29.11.2018 से असन्तुष्ट थे, तो अप्रार्थी कम 1 को जर्ये पत्र सूचित किया जाकर एक माह का समय दिया गया था कि उक्त सेम्पल की पुनः जॉच करवाये। किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा उक्त सेम्पल की पुनः जॉच नही करवायी गई है।

मेरे द्वारा प्रकरण मे उभयपक्ष की बहस सुनी और उस पर मनन किया व पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। अप्रार्थी कम 1 से वास्ते नमूना जॉच कय की गयी, खाद्य पदार्थ **केसर बाटी (डीएमबी) 01 कि.ग्रा. डिब्बा पैक** खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट कमांक 732/FSSA /Kota/ Act/2018 /762 दिनांक 29.11.2018 के अनुसार, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के तहत **मिथ्याछाप (Misbranded)** होना पाया गया। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (।।) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 52 के तहत, अप्रार्थी कम 1,2,3,4 को 500/— 500/— रूपये एवं अप्रार्थी कम 5,6,7,8,9 को 1000/— 1000/— रूपये एवं अप्रार्थी कम 10 को 10,000/— रूपये पत्रावली मे कुल जुर्माना राशि 17,000/— रूपये (अक्षरे सत्रह हजार रूपये मात्र) के आर्थिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थी उक्त जुर्माना राशि ई—मित्र सेवाकेन्द्र से चालान निकलवाकर, जर्ये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय मे अन्दर एक माह प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 17.01.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहम्मद अबूबक्र)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2020.02.03 13:50:12 IST
Reason: SelfAttested
Location: